ओमप्रकाश - सुनीता, 106/22

दिनांक	आज्ञा पत्र
22.12.23	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज S.O. [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.3.24 को पेश हों।
1/3/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने [illegible] कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5-4.24 को पेश हो।
5.4.24	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14.5.24 को पेश हों।
14.5.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में शेष रेस्पोंडेंटस की तामील हेतु इस न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की पालना में रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस भिजवाये गये थे। आदेश 5 नियम 9(5) सीपीसी के अनुसार समन जारी करने की तिथि से 30 दिन के भीतर रजिस्टर्ड डाक अथवा प्राप्ति रसीद प्राप्त नहीं होने के कारण तामील पर्याप्त मानी जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 2.6.24 को पेश हो।
3.6.24	पत्रावली पेश / वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस दिनांक 20.6.24 को पेश हो।
20.6.24	पत्रावली पेश / वकील उभय पक्ष उप. वास्ते बहस / दिनांक 4.7.24 को पेश हो।
4.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.7.24 को पेश हो।
19.7.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 112/2022

1 रामकिशोर पुत्र मोठूराम उम्र 57 साल जाति मीणा निवासी पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर हाल आबाद ग्राम जेतपुर खीची वाया आचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1 मुकेश कुमार
2 सुनिल
3 पिन्टू
4 बुधराम पुत्रगण हरफूल
5 माया देवी
6 मन्जू देवी
7 सन्जू देवी
8 उजाला पुत्रियां हरफूल
9 सुनिता पत्नी राकेश कुमार
10 रोहित
11 मोहित पुत्रगण राकेश कुमार
12 विजय लक्ष्मी पुत्री राकेश कुमार
13 रामकुवार
14 रामोतार
15 शीशराम
16 राजहंस पुत्रगण रामेश्वर
17 गीता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 सन्ती पुत्रियां रामेश्वर
19 सुखदेव पुत्र गंगल्या
20 सुप्यार पत्नी श्रवण
21 अशोक
22 विष्णु
23 कृष्ण पुत्रगण श्रवण
24 सुनिता पुत्री श्रवण
25 भागोती पत्नी भागीरथ
26 ओमप्रकाश
27 सहीराम
28 सुशीला पुत्रगण भागीरथ
29 कोयल
30 सुप्यार पुत्रियां भागीरथ
31 विजय पुत्र राजेन्द्र
32 फूली पत्नी बाबूलाल
33 सुरेन्द्र पुत्र बाबूलाल
34 मामराज पुत्र बाबूलाल
35 सुमित्रा
36 सुमन
37 कृष्णा
38 किरण पुत्रियां बाबूलाल
समस्त जाति मीणा निवासीगण पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना जिला सीकर पीठासीन अधिकारी
श्री सेवाराम स्वामी आरएएस मुकदमा नम्बर
63/2004 उनवानी हरफूल बनाम श्रवण आदि
दिनांक 06.02.2012

अपील संख्या 106/2022

1 ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सुनिता बेवाह राकेश कुमार पुत्र हरफूल
2 मोहित पुत्र राकेश कुमार
3 रोहित पुत्र राकेश कुमार
4 विजय लक्ष्मी पुत्री राकेश कुमार
5 मुकेश कुमार पुत्र हरफूल
6 सुनिल पुत्र हरफूल
7 पिन्टू पुत्र हरफूल
8 बुधराम पुत्र हरफूल
9 माया देवी पुत्री हरफूल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

10 मंजू देवी पुत्री हरफूल
11 संजू देवी पुत्री हरफूल
12 उजाला पुत्री हरफूल
13 सुप्यार बेवाह श्रवण
14 अशोक पुत्र श्रवण
15 विष्णु पुत्र श्रवण
16 कृष्ण पुत्र श्रवण
17 सुनिता पुत्री श्रवण
18 रामकिशोर पुत्र मोटूराम
19 रामकुमार पुत्र रामेश्वर
20 रामावतार पुत्र रामेश्वर
21 शिशराम पुत्र रामेश्वर
22 राजहंस पुत्र रामेश्वर
23 गीता देवी पुत्री रामेश्वर
24 सन्ती देवी पुत्री रामेश्वर
25 भागोती बेवाह भागीरथ
26 सहीराम पुत्र भागीरथ
27 विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र पुत्र भागीरथ
28 सुमित्रा पुत्री भागीरथ
29 सुप्यार पुत्री भागीरथ
30 सुशीला पुत्री भागीरथ
31 फूली देवी बेवाह बाबूलाल
32 सुरेन्द्र पुत्र बाबूलाल
33 मामराज पुत्र बाबूलाल
34 सुमित्रा पुत्री बाबूलाल
35 सुमन पुत्री बाबूलाल
36 कृष्णा पुत्री बाबूलाल
37 किरण पुत्री बाबूलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

38 सुखदेव पुत्र गंगल्या
समस्त जाति मीणा निवासीगण पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.02.2012
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
प्रकरण उनवानी हरफूल बनाम श्रवण आदि
मु.नं. 63/2004
अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री नरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री महेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–19.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा 63/2004 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रस्तुत दोनों अपील एक ही निर्णय के विरूद्ध होने से इन निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने एक वाद घोषणा बाबत भूमि खसरा नम्बर 347 वाके ग्राम पुराना बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से राजीनामें के आधार पर वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 के पूर्वज हरफूल पुत्र मोठाराम मीणा द्वारा अपीलाधीन वाद इन अभिकथनों के साथ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था कि वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है एवं फरीकेन के बुजुर्गान शामिल में रहते थे एवं ग्राम पुराना बास में बुजुर्गान अपने अपने हिस्से के अनुसार काश्त की जमीन को काश्त करते रहे है। वादी जमीन खसरा नम्बर 347 रकबा 0.59 हैक्टेयर चाही अव्वल लगानी 3.48 पैसे वाके ग्राम पुराना बास अपने पिता स्व. मोठू के जीवन काल से बतौर खातेदार, काश्तकार काश्त करता आ रहा है और वादी उक्त जमीन पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज जमीन है एवं लगान सरकारी अदा करता आ रहा है। जमीन खसरा नम्बर 347 रकबा 0.59 हैक्टेयर पर वादी बतौर खातेदार, काश्तकार बरवक्त बदोबश्त एवं उसके बाद राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने के दिन से बराबर लगातार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

शांतिपूर्वक उक्त जमीन को काश्त करता आ रहा है एवं वादी को उक्त जमीन पर खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके है तथा वादी अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी उक्त कृषि भूमि को प्रतिवादीगण की जानकारी आउस्टर एंव सहमति से 12 साल से भी अधिक समय से लगातार प्रतिवादीगण की जानकारी से शांतिपूर्वक काबिज, काश्त चला आ रहा है तथा वादी का उक्त जमीन पर प्रतिकूल कब्जा होने के कारण भी वादी को खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादीगण उक्त जमीन में 12 से भी अधिक समय से कब्जे से बाहर रहने के कारण तथा उनके द्वारा उक्त जमीन कभी काश्त ना करने के कारण राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी हकूक प्रतिवादीगण समाप्त हो चुके है तथा वादी को उक्त जमीन पर खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादीगण ने उक्त जमीन को कभी भी काश्त नहीं की ना उनका उक्त जमीन पर कब्जा काश्त रहा तथा वादी ही उक्त जमीन को कदीम से काश्त कर दरो की थी तथा वर्तमान फसल में वादी ने उक्त जमीन में बाजरा गुंवार काश्त कर रखी है। वादी प्रतिकूल कब्जे एवं लगातार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट लागू होने के दिन से उक्त जमीन को बराबर काश्त करता आ रहा है और वादी को उक्त जमीन का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से रिकार्ड में दर्ज होने के कारण उनका नाम हजफ कराकर वादी अपना नाम खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादी के हक में खातेदारी दर्ज कराने हेतु कहा तो पहले वे आश्वासन देते रहे कि हम न्यायालय में आपके पक्ष में उक्त तथ्यों के अनुसार खातेदारी कराने के सम्बन्ध में राजीनामा कर एवं बयान देकर तब्दील करा देगें, लेकिन उन्होंने टालमटोल कर अभी तक खातेदारी वादी के हक में नहीं करायी इस कारण यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अपीलाधीन वाद में अपीलांट की जो तामीली कार्यवाही की गई है वह विधि अनुरूप नहीं है। अपीलांट अपील मेमो में अंकित पते पर पिछले 30 साल से रह रहा है, वह समय समय पर आकर विवादित भूमि में से अपने हक, हिस्से की भूमि को काश्त करवाता रहा है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलांट के नाम विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी नोटिस पर यह रिपोर्ट आ चुकी थी कि रामकिशोर बच्चो सहित जयपुर रहता है तो दूसरा नोटिस उसी पते पर जारी करने का कोई औचित्य ही नहीं था। फिर भी दूसरा नोटिस उसी पते पर जारी किया गया। यह न्याय संगत नहीं है। अपीलांट का विवादित भूमियों में से अपना पैत्रिक हक, हिस्सा है जिस पर आज दिन भी उसीका कब्जा काश्त है परन्तु रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 12 के पूर्वज द्वारा गलत रूप से एवं दुर्भावनापूर्ण तरीके से केवल मात्र स्वयं का ही कब्जा होना अपीलाधीन वाद में अंकित किया गया जिसे उसके द्वारा किसी भी रूप में साबित ही नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलाधीन वाद का वादी संख्या 1/2 राकेश का स्वर्गवास दिनांक 04.08.2011 को हो चुका था। इस प्रकार से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री मृत व्यक्ति के खिलाफ जारी की हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2011 पेज 508, आरएलडब्ल्यू 2006(1) आरजे पेज 276, आरएलडब्ल्यू 2008(2) आरजे पेज 1142 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट रामकिशोर प्रतिवादी संख्या 2 एवं अपीलांट औमप्रकाश प्रतिवादी संख्या 8 भागीरथ का पुत्र है। विचारण न्यायालय में रामकिशोर एंव भागीरथ की सम्यक तामील के उपरांत दिनांक 10.08.2006 को अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य एवं राजीनामा के आधार पर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। राजीनामे के आधार पर पारित डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है। अपीलांट की अपील 10 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट रामकिशोर के नोटिस दिनांक 25.06.2004 जो दिनांक 13.07.2004 के लिए जारी किया गया है, की पुश्त पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि रामकिशोर बच्चो सहित जयपुर रहता है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 8 भागीरथ अपीलांट के पिता के नाम जारी नोटिस दिनांक 25.06.2004 जो दिनांक 13.07.2004 के लिए जारी किया गया है, की पुश्त पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि भागीरथ बच्चो सहित जयपुर रहता है। इन दोनों पक्षकारों की तामील पुनः दिनांक 26.07.2006 को 10.08.2006 के लिए जारी की गई। इन तामीलों पर भी दोनों पक्षकार जयपुर रहने की तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट है। ऐसी स्थिति में इन रिपोर्टो के आधार पर दोनों पक्षकारों की सम्यक तामील मानकर विचारण न्यायालय द्वारा की गई एकपक्षीय कार्यवाही विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल मात्र उपस्थित पक्षकारों के राजीनामे के आधार पर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इस राजीनामें पर सभी प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर